DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, MAY 2, 2025

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times --D

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MAY 2, 2025

N Saravana Kumar new DDA V-C

Senior IAS officer N Saravana Kumar. *Express*

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 1

SENIOR IAS officer N Saravana Kumar has taken charge as the Vice Chairman of the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday, the agency said on Thursday.

In a statement, the DDA said that Kumar, a 2000-batch IAS officer of the Bihar cadre, had served as Principal Secretary (Food and Consumer Protection) in Bihar.

He has held positions in several departments, including Communications and IT, Law and Justice, Education, Agriculture, Animal Husbandry, Rural Development, and Food and Consumer Protection. He had also served as district magistrate in multiple districts in Bihar, including Patna.

Among the major issues that Kumar will have to handle in the Capital are the rejuvenation of the Yamuna floodplains, in-situ slum rehabilitation, development of the Narela sub-city, sports centres of excellence, and implementation of the PM-UDAY scheme. The Delhi Master Plan 2041, currently being finalised, is also among the key projects on the DDA's agenda.

IAS N SARAVANA KUMAR IS NEW DDA VICE-CHAIR

Snehil Sinha
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Senior IAS officer N Saravana Kumar took charge as the vice-chairman of the Delhi Development Authority (DDA) on Thursday.

A 2000-batch IAS officer of the Bihar cadre, Kumar last held the charge of principal secretary, department of food and consumer protection, in Bihar. Born and raised in Madurai, Kumar is a postgraduate in the field of science.

He has also served as a district magistrate for almost 10 years in various Bihar districts, including Patna.

He was also awarded for his contribution to the disaster management work during floods in the state.

Kumar's work in conservation and management of water resources in Bihar has also been recognised by the Centre.

At present, DDA is working on multiple projects, including rejuvenation of Yamuna's floodplains, in-situ slum rehabilitation scheme, development of Narela sub-city, development of centres of excellence in sports and PM Uday Scheme. Besides, Delhi Master Plan 2041 is in the works. The new VC is expected to anchor these projects under a newly formed state government.

2000-batch IAS officer is DDA's vice-chairman

New Delhi: A 2000-batch IAS officer of the Bihar cadre, N Saravana Kumar, took charge as Delhi Development Authority's vice-chairman on Thursday.

In a career spanning around two and a half decades, Kumar worked in various sectors like communications and IT, law and justice, education, agriculture, animal husbandry, rural development, and the food and consumer protection department.

Kumar was holding the charge of principal secretary, department of food and consumer protection in Bihar, prior to joining DDA. He was district magistrate for almost 10 years in various districts of the state, including Patna, and significantly contributed to disaster management work during floods, for which he was awarded by state govt.

He also received letters of appreciation four times from ECI during various elections in the state. During his tenure in the rural development department, Bihar was rewarded for conservation and management of water resources by the Union Jal Shakti ministry. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- Pioneer D---
NEW DELHI | FRIDAY | MAY 2, 2025

Saravana Kumar takes charge as Vice Chairman of DDA

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

Senior IAS officer of Bihar cadre N Saravana Kumar on Thursday took charge as Vice Chairman, Delhi Development Authority (DDA). In a career spanning around two and a half decades, he has worked in various sectors like Communications and IT, Law and Justice, Education, Agriculture, Animal Husbandry, Rural Development and Food Consumer Protection department.

A 2000-batch IAS officer, Kumar was holding the charge of Principal Secretary, Department of Food and Consumer Protection in Bihar, prior to joining DDA.

His dedication towards work has brought laurels to his state and the departments where he has worked. He has been District Magistrate for almost 10 years in various districts of the state, including Patna, and significantly contributed to the disaster management work during floods, for which he was awarded by the State Government.

He also received letters of appreciation four times from Election Commission of India during various elections in the state.

During his tenure in Rural Development department, Bihar was rewarded for conservation and management of water resources by Union Jalshakti ministry and his presentation on 'Organic Corridor' Scheme was also awarded by Chief Minister Nitish Kumar.

His rich experience will be beneficial for the DDA at a time when important projects are being undertaken like Rejuvenation of River Yamuna plains, In-situ Slum Rehabilitation Scheme, development of Narela Sub-city, development of Centers of Excellence in sports and PM Uday Scheme.

Besides, Delhi Master Plan 2041 is being finalized which will shape the future of capital for next 20 years.

Born and raised in Madurai, Kumar is a postgraduate in the field of Science. He is a sports enthusiast and a nature lover.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- Millennium Post ------DATED: 2/05/2025

N Saravana Kumar takes over as VICE CHAIRMAN OF DDA

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Senior IAS officer N Saravana Kumar on Thursday assumed charge as the Vice Chairman of the Delhi Development Authority (DDA), the agency said in a statement.

A 2000-batch officer of the Bihar cadre, Kumar brings over 24 years of administrative experience across sectors such as communications, education, rural development, agriculture and food and consumer protection, it stated.

Senior IAS officer N Saravana Kumar MPOST

Before joining the DDA, he was serving as the principal secretary in Bihar's Department of Food and Consumer Protection, it read.

Kumar has held key positions during his career, including nearly a decade as district magistrate in several districts of Bihar, including Patna. His work in disaster management during floods earned him recognition from the state government, it stated.

He has also been commended multiple times by the Election Commission of India for his role in conducting elections in the state, the statement said.

It highlightd that during Kumar's tenure in Bihar's Rural Development Department, the state received accolades from the Union Jal Shakti Ministry for water resource management. His work on the 'Organic Corridor' scheme was also recognised by Chief Minister Nitish Kumar.

Born and brought up in Madurai, Kumar holds a postgraduate degree in science.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 मई, 2025 ----------DATED----------

एन सरवण कुमार ने संभाला डीडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एन सरवण कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नए उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। करीब ढाई दशक के अपने करियर में कुमार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।

बिहार कैडर के 2000 बैच के आइएएस अधिकारी कुमार डीडीए में पदभार संभालने से पहले बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव का पद संभाल रहे थे। वे पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 10 वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे और उन्होंने बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। राज्य में विभिन्न चुनावों के दौरान उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग से चार बार प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 2 मई 2025

DDA के नए वाइस चेयरमैन एन. सरवण ने संभाला चार्ज

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

डीडीए के नए वाइस चेयरमैन एन. सरवण कुमार ने गुरुवार को अपना पदभार संभाल लिया है। सीनियर आईएएस एन. सरवण कुमार लगभग ढाई दशक के अपने सर्विस करियर में विभिन्न सेक्टरों जैसे कम्युनिकेशन एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हसबेंड्री, रूरल डिवेलपमेंट एंड फूड एंड कंस्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं।

माना जा रहा है कि इनका अनुभव डीडीए के लिए ऐसे समय में लाभकारी होगा, जब यमुना रिवर फ्लड प्लेन्स के रिवाइवल, इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना, नरेला सब सिटी का विकास, खेल एक्सिलेंस केंद्रों का विकास और पीएम उदय योजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 मई 2025

सरवण ने डीडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। बिहार कैडर के वर्ष 2000 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. एन सरवण कुमार ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। सरवण ने लगभग ढाई दशक के अपने सेवा कार्यकाल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली । शुक्रवार • 2 मई • 2025

www.rashtriyasahara.com

NAME OF NEWSPAPERS-------------------------------

एन सरवण कुमार ने डीडीए उपाध्यक्ष का संभाला कार्यभार

■ लंबे प्रशासनिक अनुभव से डीडीए की योजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार ने बृहस्पतिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। बिहार कैडर के वर्ष 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी एन सरवण कुमार अब तक संचार, आईटी, कानून एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जैसे विभागों में रह चुके हैं।

डीडीए का कहना है कि उपाध्यक्ष के पुराने अनुभव को देखते हुए डीडीए की योजनाओं को नई रफ्तार मिल सकती है। डीडीए में मौजूदा समय में यमुना नदी के रिवर फ्रंट का विकास, स्लम पुनर्वास इन-सीटू योजना, नरेला उप-नगर का विकास, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिसरों का विकास, पीएम उदय और मास्टर प्लान-2041 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ मिल सकता है।

बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी एन सरवण कुमार डीडीए में आने से पहले बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव थे। पटना समेत कई जिलों में जिलाधिकारी भी रहे हैं। डीडीए ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ के दौरान उनके बेहतर प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उनके कुशल प्रबंधन को देखते हुए उन्हें चार बार प्रशंसा पत्र दिए। बिहार में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने उन्हें पुरस्कृत किया और ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना पर उनकी प्रस्तुति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें पुरस्कृत किया था। नव नियुक्त उपाध्यक्ष खेलों के साथ-साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं।

पंजाब केसरी - 2 मई, 2025 ▸ शुक्रवार

एन. सरवण कुमार ने डीडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार ने गुरुवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। बिहार कैडर के वर्ष 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी एन सरवण कुमार अब तक संचार, आईटी, कानून एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभागों में रह चुके हैं। डीडीए का कहना है कि उपाध्यक्ष के पुराने अनुभव को देखते हुए डीडीए की योजनाओं को नई रफ्तार मिल सकती है। डीडीए में मौजूदा समय में यमुना नदी के रिवर फ्रंट का विकास, स्लम पुनर्वास इन-सीटू योजना, नरेला उपनगर का विकास, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिसरों का विकास, पीएम उदय और मास्टर प्लान-2041 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ मिल सकता है। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी एन. सरवण कुमार डीडीए में आने से पहले बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव थे। पटना समेत कई जिलों में जिलाधिकारी भी रहे हैं। डीडीए ने कहा कि बिहार में बाढ़ के दौरान उनके बेहतर प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उनके कुशल प्रबंधन को देखते हुए उन्हें चार बार प्रशंसा पत्र दिए। बिहार में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने उन्हें पुरस्कृत किया और ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना पर प्रस्तुति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें पुरस्कृत किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------------------------------

amarujala.com

नई दिल्ली | शुक्रवार, 2 मई 2025

एन सरवण बने डीडीए उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। वरिष्ठ आईएएस एन सरवण कुमार ने बृहस्पतिवार को डीडीए के नए उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। करीब ढाई दशक कार्यकाल में सरवण ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास

और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जैसे क्षेत्रों में काम किया है।

बिहार कैडर के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी सरवण डीडीए में पदभार संभालने से पहले बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव का पद संभाल रहे थे। वे पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 10 साल तक डीएम रहे और उन्होंने बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन कार्य किया। उनका अनुभव डीडीए के लिए लाभकारी होगा। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, MAY 2, 2025

Yamuna clean-up: Clearing drains to razing encroachments in Govt's plan

HARIKISHAN SHARMA
NEW DELHI, MAY 1

FROM ENHANCING environmental flow of the river to managing drains and removing encroachments from floodplains through a dedicated Special Task Force, the Government has finalised a 30-point action plan to rejuvenate the Yamuna, *The Indian Express* has learnt.

The plan, which involves the Central and Delhi governments,

CONTINUED ON PAGE 2

KEY MEASURES IN 4-YEAR ROADMAP

- Solid waste management
- Sewage management
- Governance, enforcement
- Surveillance
- Public outreach
- Drain management
- Flood plain protection

Yamuna clean-up plan

was drawn up following a high-level meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi on April 16 to review the clean-up and address the capital's drinking water concerns. Sources said that a detailed presentation on the initiative was shared during the meeting, which was also attended by Union Home Minister Amit Shah, Union Jal Shakti Minister C R Patil, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and senior PMO officials.

Following the meeting, sources said, the 30-point roadmap was circulated among key agencies — Delhi Development Authority (DDA), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi Jal Board (DJB), Municipal Corporation of Delhi (MCD) — and the Delhi government. Each has been assigned specific responsibilities, with timelines ranging from June 2025 to March 2029.

Two key action points in the exercise focus on increasing the environmental flow (E-flow) of the Yamuna within Delhi and further downstream. E-flow refers to the quantity, timing and quality of water flow needed to maintain the health and function of aquatic ecosystems.

The plan proposes discharging 773 million litres per day (8.95 cumecs) of treated water from the Coronation Pillar and Yamuna Vihar sewage treatment plants into the river downstream of Wazirabad by September 2026 — a dedicated conveyance system will be developed. Additionally, an extra 6.23 cumecs of treated water from the Okhla STP (capacity: 563 MLD) will be released downstream of the Okhla barrage via the Yamuna canal, partially improving the river's flow.

The Special Task Force has also been tasked with removing floodplain encroachments within a year, targeting a completion date of September 2026.

Further, the plan includes creating around 500 MLD of additional sewage treatment capacity by March 2029 and connecting 1,799 unauthorised colonies to the sewage network. New STPs are proposed at Delhi Gate, Shastri Park and Kailash Nagar. Several major drains — Barapullah, Maharani Bagh, Mori Gate, Sonia Vihar, Delhi Gate, Kailash Nagar, Shastri Park — will also be tapped and treated before discharge.

Describing the Yamuna as a "polluted drain filled with filth and garbage", the BJP had pledged to clean the river in its manifesto for the 2025 Delhi Assembly elections. Criticising the previous Delhi government of Aam Aadmi Party, the BJP had claimed that despite spending Rs 8,500 crore, AAP had failed to clean the Yamuna.

Promising to collaborate with the Centre, the BJP had also announced plans to develop the Yamuna Riverfront on the lines of Ahmedabad's Sabarmati Riverfront. The proposal includes establishing 24x7 commercial spaces, theatres, interactive shows and other entertainment venues along the banks. As part of its broader vision, the BJP had promised to set up a dedicated Yamuna Fund to revitalise the river. The fund would support initiatives such as ensuring complete treatment of wastewater from key drains like Barapullah, Shahdara and Ghazipur before it enters the Yamuna. The plan also includes septage and dairy waste management. For this, connecting non-sewerage areas with sewer and biogas plants for managing dairy waste will be set up.

As part of flood plains protection measures, the plan envisages completion of 10 restoration projects. The focus over the next three months will be on removing plastic and trash from the drains.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MAY 2, 2025

Yamuna to get a 'Sabarmati-style' makeover within set timeline: Shah

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Union home minister Amit Shah on Thursday said Yamuna's "purification" is of utmost importance not only for the people of Delhi and its neighbouring states but also for all Indians who worship lord Krishna and Yamuna.

The Yamuna riverfront project in the national capital will be developed along the lines of the Sabarmati riverfront in Gujarat, and completed within a set timeline, he said.

Speaking at an event on the occasion of Gujarat and Maharashtra Day here, Shah said PM Narendra Modi has taken steps to preserve the purity and sanctity of the Yamuna's water from Yamunotri to Prayagraj. Union minister Mansukh Mandaviya, Delhi LG VK Saxena, Delhi CM Rekha Gupta, Delhi PWD minister Parvesh Sahib Singh and ministers from Gujarat were among those present at the event.

Shah praised Saxena's efforts to clean the Yamuna banks and said the PM's vision to transform the area was progressing at a fast pace. "I appreciate the LG's efforts to clean the Yamuna banks and eliminate garbage. PM Modi has developed plans to clean the Yamuna from Yamunotri to Prayagraj, and for the riverfront," he said.

The home minister's comments are a part of the govt's larger initiative to revitalise India's urban infrastructure and river systems. There have been multiple unsuccessful attempts to clean the river, which has long been afflicted by pollution and encroachments.

The PWD has asked the Delhi Development Authority to integrate all 11 of its ongoing floodplain projects along the Yamuna river into a single, continuous riverfront stretch.

Hindustan Times NEW DELHI FRIDAY MAY 02, 2025

HC relief for Idgah panel

Shruti Kakkar
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Thursday barred the Delhi Development Authority (DDA) from taking coercive steps against the Shahi Idgah Management Committee over a ₹12 lakh recovery notice issued for using Eidgah Park during the annual Ijtema congregation held in December 2024.

The notice, dated February 11, claimed the parkland belonged to DDA and sought booking charges for the religious event. However, Justice Vikas Mahajan granted interim protection, observing that the committee had no available legal remedy as the Delhi Waqf Tribunal is currently non-functional.

"The problem is that the tribunal is not functional. Till that time, he (the committee) has no remedy. It is a government land, but he is not encroaching upon it. It is a religious function — the recovery can come later on," the judge remarked during the hearing.

Senior advocate Sanjoy Ghose, representing the committee, told the court that the park was part of the Idgah premises and that the committee had already approached the Waqf Tribunal seeking land demarcation. "But the matter hasn't been heard due to lack of quorum," he said.

In its order, the court said, "Having regard to the fact that the Waqf Tribunal is not functional, it is directed that the DDA shall not take any coercive action pursuant to notice dated 11/2."

The court issued notice on the committee's petition and posted the matter for further hearing on September 10.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------------------------------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MAY 2, 2025

SC restrains DDA from shifting deer from park in Hauz Khas to Rajasthan

The petition alleged that three batches of deer had already been relocated

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Supreme Court has restrained shifting of deer from Deer Park in Hauz Khas to forest zones in Rajasthan and other areas and asked Delhi Development Authority to stop the exercise till further orders.

"For the time being, we restrain the respondents (DDA and other authorities) from shifting the existing deer out of the Deer Park at Hauz Khas, New Delhi. We also make it clear that the deer shall be properly looked after by the respondents," a bench of Justices Abhay S Oka and Ujjal Bhuyan said.

The court passed the order on a plea filed by NGO 'New Delhi Nature Society' alleging that around 600 deers were at risk of being relocated without proper habitat assessments, veterinary checks, or safeguards.

The authorities decided to relocate the deer after the Central Zoo Authority's decision to withdraw AN Jha Deer Park's recognition as a 'mini-zoo.' The petitioner alleged that once released in Rajasthan, the deer, accustomed to life in a semi-urban, predator-free park, would be exposed to natural predators like leopards, for which they have no survival instincts. It said that the relocation amounts to turning domesticated animals into prey.

The petition alleged that three batches of deer had already been relocated hastily from Deer Park and to predator-heavy sanctuaries in Rajasthan, in violation of wildlife protection laws.

Agreeing to examine the case, the bench issued notice to DDA and other authorities and fixed the case to May 16 for hearing.

HC tells DDA not to act against Shahi Idgah over park use

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Thursday asked Delhi Development Authority not to take any action against the Shahi Idgah in the capital's Sadar Bazar area for using the adjoining park for a religious event last year.

HC orders status quo

Justice Vikas Mahajan also issued a notice to DDA on a petition filed by the Shahi Idgah managing committee and asked the authority for a response.

"Renotify on Sept 10. In the meantime, having regard to the fact that the waqf tribunal is non-functional, where the petitioner instituted a suit, it is directed that DDA shall not take any action pursuant to its notice dated Feb 11, 2025," the court directed after hearing submissions from the parties.

During the hearing, the petitioner's counsel said DDA's notice of Feb 11 demanded Rs 12 lakh for using the park surrounding the Idgah for holding Ijtema in Dec 2024. However, the counsel maintained that the park was part of the Idgah premises and DDA had no claim over it.

He further highlighted that the committee already filed a suit before the waqf tribunal against the land-owning authority's claim over it, but since the tribunal was non-functional due to a lack of enough members, DDA should hold its hand till the tribunal forms an opinion.

Opposing the plea, the counsel for DDA said a single judge of the high court already gave a finding on the park being DDA's property while dealing with the petitioner's plea for installing a Maharani Lakshmi Bai statue there. The lawyer said the single judge's decision was appealed against by the petitioner before a division bench, which did not intervene, finalising the authority of DDA over the park.

The civic agency claimed the religious function was held in its park without prior approval and demanded costs. On his part, the petitioner's counsel said the single judge had no power to rule on the issue of the title of the park, and the division bench left open all contentions of the parties.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण 10
नई दिल्ली, 2 मई, 2025
NAME OF NEWSPAPERS-------------------------------ED----------------------

हिरणों को दूसरे राज्यों के जंगलों में भेजने से कोर्ट ने डीडीए को रोका

- सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया
- डियर पार्क में बचे हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और अन्य अधिकारियों को हौज खास इलाके में स्थित डियर पार्क में बचे हिरणों को दूसरे राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने से रोक दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया है। उनसे हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है। इन विशेष अनुमति याचिकाओं में शामिल मुद्दा हौज खास में स्थित डियर पार्क में हिरणों को स्थानांतरित करने से संबंधित है।

पीठ ने 30 अप्रैल को पारित आदेश में कहा था, 'फिलहाल हम प्रतिवादियों को मौजूदा हिरणों को हिरण पार्क से बाहर स्थानांतरित करने से रोकते हैं...हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा हिरणों की उचित देखभाल की जाएगी।' बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने बागवानी निदेशक के अलावा मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 16 मई के लिए तय की। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर आया है। याचिका में दावा किया गया है कि हौज खास के डियर पार्क से 600 हिरणों को उनके उचित आवास आकलन, पशु चिकित्सा जांच या गर्भवती हिरणों और शावकों के लिए सुरक्षा उपायों के बिना स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन बैचों को पहले ही जल्दबाजी में हिरण पार्क से राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पार्क के इस्तेमाल को लेकर शाही ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

जासं, नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को डीडीए से कहा कि वह सदर बाजार में शाही ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई न करे। डीडीए ने दावा किया था कि बीते वर्ष बिना पूर्व अनुमति के उसके पार्क में धार्मिक समारोह किया गया। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया और प्राधिकरण से जवाब मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है।

कोर्ट ने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण इस समय काम नहीं कर रहा है, जहां याचिकाकर्ता ने केस दायर किया है। इसलिए डीडीए 11 फरवरी, 2025 के अपने नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि डीडीए के 11 फरवरी के नोटिस में दिसंबर, 2024 में धार्मिक आयोजन इज्तेमा के लिए ईदगाह के आसपास के पार्क का उपयोग करने के लिए 12 लाख रुपये की मांग की गई थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पार्क ईदगाह परिसर का हिस्सा था और डीडीए का इस पर कोई दावा नहीं था। डीडीए के अधिवक्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्क को डीडीए की संपत्ति बताया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 मई 2025
हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS---

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 2 मई 2025

डीटीयू का नया कैंपस नरेला में बनेगा

■ अभिनव उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (डीटीयू) का नया कैंपस नरेला में 12.69 एकड़ में बनने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां प्रारंभिक चरण में हैं। विश्वविद्यालय ने धन के लिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है।

कुलपति प्रो.धनंजय जोशी का कहना है कि डीटीयू को डीडीए की ओर से जमीन मुहैया कराई गई है। बजट में जिन सात विश्वविद्यालयों लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, उसमें एक हमारा भी है। अब आगे पीडब्ल्यूडी या कोई सरकारी संस्थान इसका निर्माण करेगी। दो से तीन साल में यह कैंपस तैयार हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि और जमीन मिल जाए, ताकि एक विस्तृत और समग्र कैंपस तैयार हों। उन्होंने बताया कि हमें डीडीए के 100 फ्लैट भी ऑफर हुए हैं, जिसका विभिन्न उपयोग हो सकता है।

आने वाले दिनों में कई और कोर्स भी संचालित करने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में हमारे यहां नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने मानकों की पड़ताल की है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव राय ने बताया कि कई नए कोर्स लाने की तैयारियां चल रही हैं। बीएड और एमएड शुरू करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ डिप्लोमा और ऑनलाइन कोर्स भी शुरू होंगे।

आईजीडीटीयूडब्ल्यू के लिए भूमि आवंटित

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नरेला में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) का स्थायी परिसर बनेगा। इसके लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की है। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और रिसर्च एक्सीलेंस अवॉर्ड्स का शुक्रवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को 50 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा मिल चुका है। यह नया कैंपस महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बनेगा। सरकार एक महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप और रिसर्च हब की भी योजना बना रही है, जहां महिलाओं को संसाधन, पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा।

हिरणों के स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क के हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि हिरणों को दूसरी जगह भेजने पर फिलहाल कोई फैसला न लें।

जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस मामले में डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी कर 16 मई तक जवाब मांगा है। साथ ही हिरणों के उचित देखभाल के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन 'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि हौज खास में मौजूद लगभग 600 हिरणों को बिना उचित आवास आकलन, पशु चिकित्सा जांच के स्थानांतरित किए जाने की आशंका है। कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन समूहों राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिए हैं।

शाही ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई न करें : कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) को राजधानी के सदर बाजार इलाके में स्थित शाही ईदगाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा है। यह मामला दिसंबर 2024 मे धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के उपयोग को लेकर उठा था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया है। पीठ मामले पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगी।

डीयर पार्क के हिरणों को कहीं और भेजे जाने पर रोक

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क में बचे हुए हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में न भेजें। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने DDA के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और अन्य को नोटिस जारी कर हिरणों को कहीं और भेजने का विरोध करने वाली याचिका पर उनका पक्ष मांगा है।

बेंच ने 30 अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि विशेष अनुमति याचिकाओं में मुख्य मुद्दा नई दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों को भेजे जाने से ही जुड़ा हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फिलहाल डीडीए समेत अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देते है कि इन हिरणों की उचित देखभाल की जाए।यह निर्देश एनजीओ न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर आया है। याचिका में कहा गया था कि हौज खास के डियर पार्क से लगभग 600 हिरण को बिना जरूरी आवासीय मूल्यांकन, पशु चिकित्सकीय जांच और गर्भवती मादा हिरणों तथा शावकों की सुरक्षा के बिना अन्य राज्यों के जंगलों में भेजे जाने की संभावना है।

DDA ने फायर सेफ्टी पर नोटिस का दिया जवाब

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : फायर सेफ्टी रेगुलेशन से जुड़े नियमो की अनदेखी पर मिले लीगल नोटिस का डीडीए ने जवाब दिया है। बताया है कि उसने 25 जुलाई 2024 को ही विकास सदन के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस (DFS) मे अप्लाई किया था। डीएफएस की टीम ने विकास सदन का निरीक्षण कर कुछ कमियां बताई थीं। उन कमियो पर डीडीए ने तुरंत ऐक्शन लिया।डीडीए को सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरमेंट (साइकल) की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया था। इसमे विकास मीनार बिल्डिंग और डीडीए मुख्यालय मे फायर सेफ्टी नियमो की अनदेखी के बारे मे सवाल किए गए थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
नई दिल्ली । शुक्रवार । 2 मई 2025
amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, शुक्रवार 2 मई, 2025

डीडीए को दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों को स्थानांतरित करने पर रोक

शीर्ष अदालत ने बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकरणों को हौज खास इलाके में स्थित हिरण पार्क में बचे हिरणों को दूसरे राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने से रोक दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिका पर डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी कर 16 मई तक जवाब मांगा है।

पीठ ने 30 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, फिलहाल हम प्रतिवादियों को हिरण पार्क से मौजूदा हिरणों को बाहर ले जाने से रोकते हैं और हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हिरणों की उचित देखभाल की जाएगी। शीर्ष अदालत का यह निर्देश एनजीओ न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी की ओर से दायर याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि हौज खास में लगभग 600 हिरणों को उचित आवास आकलन, पशु चिकित्सा जांच या गर्भवती हिरणों और शावकों जैसे कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा उपायों के बिना स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन बैचों को पहले ही जल्दबाज़ी में हिरण पार्क से राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है। एजेंसी

12 लाख की मांग पर विवाद; शाही ईदगाह पर कार्रवाई न करे डीडीए: दिल्ली हाईकोर्ट

वक्फ ट्रिब्यूनल के काम नहीं करने के चलते नोटिस, सुनवाई 10 सितंबर को

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को राजधानी के सदर बाजार इलाके में स्थित शाही ईदगाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस मामले में दिया गया है, जिसमें डीडीए ने दिसंबर 2024 में धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने डीडीए को नोटिस जारी किया और मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वक्फ ट्रिब्यूनल फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसलिए डीडीए अपनी 11 फरवरी 2025 की नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि डीडीए ने 11 फरवरी को एक नोटिस भेजकर दिसंबर 2024 में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम 'इज्तिमा' के लिए पार्क के इस्तेमाल पर 12 लाख की मांग की थी। वकील ने कहा कि यह पार्क ईदगाह परिसर का हिस्सा है और डीडीए का इस पर कोई अधिकार नहीं है। इस दावे के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दायर किया गया है। डीडीए के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के एक सिंगल जज पहले ही यह तय कर चुके हैं कि यह पार्क डीडीए की संपत्ति है। यह फैसला उस समय आया था जब याचिकाकर्ता ने वहां महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन बेंच ने हस्तक्षेप नहीं किया।

डीडीए ने दावा किया कि धार्मिक आयोजन बिना पूर्व अनुमति के उसकी जमीन पर किया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जमीन ईदगाह की है और डीडीए का इस पर कोई हक नहीं है।

नई दिल्ली। शुक्रवार • 2 मई • 2025
राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

शाही इदगाह के पास के पार्क का धार्मिक आयोजन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करे डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्क का इस्तेमाल धार्मिक आयोजन के लिए करने के मामले में सदर बाजार क्षेत्र स्थित शाही ईदगाह को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति ने डीडीए से कहा कि वह अपने 11 फरवरी के अपने नोटिस के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं करे। क्योंकि वर्तमान में वक्फ न्यायाधिकरण निष्क्रिय है और वहां याचिकाकर्ता का मामला लंबित है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि डीडीए के 11 फरवरी के नोटिस में दिसम्बर 2024 में धार्मिक कार्यक्रम इज्तिमा (एक प्रकार का धार्मिक समागम) के आयोजन के लिए ईदगाह के आसपास के पार्क का इस्तेमाल करने के लिए 12 लाख रुपए की मांग की गई थी। जबकि पार्क ईदगाह परिसर का हिस्सा है और डीडीए का इस पर कोई दावा नहीं है। डीडीए के उसी दावे को वक्फ न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई है।

पंजाब केसरी
DELHI

शाही ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) को राजधानी के सदर बाजार इलाके में स्थित शाही ईदगाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। यह मामला दिसंबर 2024 में धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के उपयोग को लेकर उठा था। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वक्फ ट्रिब्यूनल फिलहाल काम नहीं कर रहा है और याचिकाकर्ता ने वहां पहले ही मामला दायर किया है, इसलिए डीडीए को फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गैर-कार्यशील होने को ध्यान में रखते हुए, जहां याचिकाकर्ता ने वाद दायर किया है, निर्देश दिया जाता है कि डीडीए अपने 11 फरवरी के नोटिस के तहत कोई कार्रवाई न करे।